161

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>
समक्ष : के0सी0 जैन
<u>सदस्य</u>

पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1639–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–03–2013 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक 3814–दो/2011 निगरानी ।

—

1. श्रीमती अरूणा तिवारी पत्नी श्री जयप्रकाश तिवारी
   निवासी कल्याणपुर तहसील सोहागपुर थाना
   व जिला शहडोल म0प्र0
2. सौरभ तिवारी पिता श्री जयप्रकाश तिवारी
   निवासी कल्याणपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल

...........आवेदकगण

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन
2. हनीहर्ष प्रताप सिंह पिता श्री महेन्द्र सिंह एवं अन्य
   निवासी शहडोल (कल्याणपुर) तहसील सोहागपुर
   जिला शहडोल म0प्र0

.........अनावेदकगण

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
शासकीय पैनल अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::
(आज दिनांक २५ अगस्त 2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह पुनर्विलोकन म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 15–3–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार शोहागपुर जिला शहडोल द्वारा एक प्रतिवेदन दिनांक 4–8–10 को आयुक्त शहडोल को प्रेषित किया। उक्त प्रतिवेदन में वर्ष 1973–74 में ग्राम कल्याणपुर की वर्णित भूमियों के

अनियमित तरीके से व्यवस्थापन कर भूमिस्वामी बनाये जाने बावत प्रतिवेदित किया। तहसीलदार के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आयुक्त शहडोल संभाग द्वारा प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 4–8–2010 के द्वारा सभी भूमिस्वामियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये। आयुक्त के उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15–3–2013 के द्वारा निगरानी सारहीन होने से निरस्त की गई। निगरानी में पारित इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक कमांक 1 ने भूमि कय करने के पूर्व 13 वर्षों का राजस्व अभिलेख सर्च करने के पश्चात ग्राम कल्याणपुर पटवारी हल्का नं0 79 रा0नि0 मण्डल सोहागपुर नं0 1 तहसील सोहागपुर जिला शहडोल स्थित भूमि ख0नं0 16/4 जुज़ रकवा 1.00 ए को मोहमद अमर पिता मोहम्मद उमर निवासी शहडोल से जरिए रस्टिर्ड विकय पत्र दिनांक 23–6–1998 से कय कर कब्जा दखल प्राप्त किया तथा आवेदक कं 2 ने ग्राम कल्याणपुर स्थित भूमि ख0 नं0 16/4 जुज रकवा 1.00 ए0 को मोहम्मद अमर पिता मोहम्मद उमर से जरिए रस्टिर्ड विकय पत्र दिनांक 23.6.1998 से पंजीयन उपरांत कब्जादखल प्राप्त किया। उक्त भूमियों का विधिवत तहसीलदार सोहागपुर से कमशः नामांतरण कं0 5 आदेश दिनांक 18–7–98 एवं कं0 6 आदेश दिनांक 18–7–98 के द्वारा किया जाकर आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी दर्ज किया गया। यह भी तर्क दिया कि आयुक्त ने तहसीलदार सोहागपुर से प्रतिवेदन कमांक 884/प्रवा0तह0/2010 सोहागपुर दिनांक 4–8–10 सीधे प्राप्त कर, जल्दवाजी में अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर का अभिमत के एवं बिना हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए ही विधि के विरूद्ध उक्त अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकों के स्वत्व एवं आधिपत्य की आराजी को राजस्व अभिलेख में म0प्र0 शासन छोटे झाड के जंगल मद में दर्ज करने का गलत आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध होने से निरस्ती किये जाने योग्य है। म0प्र0 (असाधारण) भोपाल, 862–3665–दस(2) 71–

भोपाल दिनांक 9 फरवरी 1972 में जारी वन विहीन ग्रामों की सूची प्रकाशित की है जिसमें सरंक्षित वन में आने वाली समस्त भूमि सूचीबद्ध कर राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है (राजपत्र की छायाप्रति पुनर्विलोकन के साथ सलंग्न है) जिसके पृष्ठ 591 पर (236) ग्राम कल्याणपुर से0 नं0 91 प.ह.नं. 41 उक्त भूमि पुराना खं0नं0 10/1 रकवा 106.01 ए0 राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर बिना गौर किये उक्त आदेश पारित कर राजस्व अभिलेख में म0प्र0 शासन छोटे झाड के जंगल मद में दर्ज दिए जाने आदेश देने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में स्पष्ट प्रावधान है कि ''मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी स्व–प्रेरणा से यह किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी भी समय अपने अधीनस्थ किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में या उसकी कार्यवाहियों की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, किसी भी ऐसे मामले का, जो ऐसे अधिकारी के समक्ष लंबित हो या उसके द्वारा निपटाया गया हो, अभिलेख मंगा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा, और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे''। किन्तु उक्त पारित अंतरिम आदेश किस राजस्व अधिकारी के प्रकरण एवं आदेश के विरूद्ध प्रकरण स्वमेव निगरानी में ग्राह्य किया गया है स्पष्ट नहीं है। जिससे उक्त पारित आदेश अवैधानिक एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है। इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 50 में यह भी उल्लेख है कि ''किसी भी आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफझारित नहीं किया जाएगा या उल्टा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवासर न दे दिया गया हो। किन्तु अधीनस्थ आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 50 का बिना पालन किए त्रुटिपूर्ण एवं अवैध अंतरिम आदेश पारित किया है जो निरस्ती योग्य है। आवेदक के पक्ष में आराजी का विकय करने के पूर्व जरिये राजस्व प्रकरण 33/अ–12/92–93 में पारित आदेश दिनांक 25–6–93 के

माध्यम से विधिवत आराजी का सीमांकन कराया गया था जिसमें मौके पर उक्त आराजियों को पूर्व भूमिस्वामी को बताया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि राजस्व न्यायालय 180 दिन बाद किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की वैधता औचित्यता या अनियमितता पर विचार नहीं कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई का अवसर दिए बिना तथा पूर्व हितबद्ध व्यक्ति को कोई सूचना पत्र जारी किये बिना किसी आदेश पारित करना नैसर्गिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। अंत में तर्क दिया कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियां अनेक वर्ष व्यतीत होने के पश्चात प्रयुक्त नहीं की जा सकती। ऐसी शक्तियां कुछ माह के भीतर ही प्रयुक्त की जा सकती है। तर्कों के संबंध में 2011 फुल बैंच एम0पी0–36 मान0 उच्च न्यायालय, 2011 आर एन 273 उच्च न्या. कमला सिंह बनाम अल्का सिंह, 2015 आर एन 651 राजेश बैगा तथा अन्य बनाम शासन एवं 2012 आर एन 362 शारदा बिहार विकास समिति बनाम म0प्र0 शासन न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये जाकर पुर्नविलोकर स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक शासकीय पैनल अधिवक्ता द्वारा तर्क किया कि अधिनस्थ द्वारा तहसीलदार द्वारा अनियमित तरीके से व्यवस्थापन कर भूमिस्वामी बनाये जाने बावत आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जिसपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 4–8–2010 के द्वारा सभी भूमिस्वामियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये। आयुक्त के उक्त के आदेश को इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 15–3–2013 द्वारा स्थिर रखा गया है। यह भी तर्क दिया कि अभी आयुक्त का आदेश अंतिम नहीं है। आयुक्त के समक्ष प्रकरण का अंतिम निराकरण होना है। अतः पुनर्विलोन आवेदन निरस्त किया जाये।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह तथ्य सही है कि आवेदकगण द्वारा विचारोक्त भूमि जरिए रस्टिर्ड विकय पत्र दिनांक 23–6–1998 से कय कर कब्जा दखल प्राप्त किया गया तथा तहसीलदार सोहागपुर के कमशः नामांतरण कं0 5 आदेश दिनांक 18–7–98 एवं कं0 6 आदेश

दिनांक 18–7–98 के द्वारा आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी दर्ज किया गया। जहां तक तहसीलदार शोहागपुर जिला शहडोल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 4–8–10 पर उसी दिनांक को आयुक्त द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिये जाने का प्रश्न है, उचित नहीं है क्योंकि आयुक्त द्वारा वर्ष 1973–74 में ग्राम कल्याणपुर की वर्णित भूमियों को हुये व्यवस्थापन आदेश को 4–8–2010 अर्थात लगभग 27 वर्ष पश्चात स्वमेव निगरानी में लेने में अवैधानिक कार्यवाही की है। इस संबंध में 2011 आर एन 273 (उच्च न्यायालय) कमला सिंह विरूद्ध अलका सिंह तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– "भू–राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0)– धारा 50– स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियॉं– अनेक वर्ष व्यतीत होने के पश्चात प्रयुक्त नहीं की जा सकतीं–ऐसी शक्तियां कुछ मास के भीतर ही प्रयुक्त की जा सकती है।"

"भू–राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0)– धारा 50 (1) परंतुक तीन– स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण– हितबद्ध व्यक्ति को सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना– आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार 2012 आर एन 362 (उच्च न्यायालय डी0बी0) शारदा विहार विकास समिति विरूद्ध म0प्र0 शासन तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

"भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 50– स्वप्रेरणा पुनरीक्षण– के लिए परिसीमा– जानकारी के दिनांक से 180 दिवस है – जानकारी के दिनांक से 19 वर्ष पश्चात ऐसी शक्ति का प्रयोग – प्राधिकारी को मामला स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लेने की शक्ति नहीं है– कार्यवाहियॉं अकृत तथा शून्य हैं।"

इसी प्रकार 2015 आर एन 280 (उच्च न्यायालय) कमलाबाई विरूद्ध म0प्र0 शासन में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– "भू–राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0)– धारा 50– स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियॉं– अनेक वर्ष व्यतीत होने के पश्चात प्रयुक्त नहीं की जा सकतीं–ऐसी शक्तियां कुछ मास के भीतर ही प्रयुक्त की जा सकती है।"

"भू–राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0)– धारा 50 (1) परंतुक तीन– स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण– हितबद्ध व्यक्ति को सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना– आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टातों के प्रकाश में राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा कमांक 1786–दो / 10 आदेश दिनांक 07–7–14 में निम्नलिखित आदेश प्रतिपादित किया है– "आयुक्त के अभिलेख में संलग्न तहसीलदार के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा जो जानकारी आयुक्त को प्रस्तुत की गई है, उसमें उन्होंने केवल अधिकर अभिलेख एवं वर्तमान अभिलेख के अनुसार ग्राम गोरतरा की भूमियों पर जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज थे उनकी जानकारी दी गई है। अन्य किसी प्रकार की विपरीत टिप्पणी भूमिस्वामियों के विरूद्ध नहीं की गई है। अतः उक्त जानकारी के आधार पर आवेदकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना तथा उन्हें पक्षकार बनाए बिना उनके स्वामित्व में दर्ज आराजियों को म.प्र. शासन दर्ज किया गया जाना त्रुटिपूर्ण है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट हे कि प्रश्नाधीन भूमियां वर्ष 1959 से निजी व्यक्तियों के नाम भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित चली आ रही हैं, जिन्हें आयुक्त द्वारा 50 वर्ष से अधिक अवधि के उपरांत अस्थाई रूप से म.प्र. शासनस के नाम अंकित किया गया है, जो औचित्यपूर्ण न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है। यदि पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से पूर्व से चली आ रही प्रविष्टि से शासन व्यथित था तो उसे सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाना चहिए थी, जो न दी जाकर परोक्ष रूप से संहिता की धारा 32 का उपयोग करना वैध नहीं माना जा सकता।"

इन्हीं तथ्यों एवं आधारों पर निग0 कमांक 1772–दो / 10 में आदेश दिनांक 07–7–14 निष्कर्ष निकाले गये हैं।

स्पष्ट है आयुक्त द्वारा 23 वर्ष पश्चात तहसीलदार द्वारा किये गये व्यवस्थापन आदेश को बिना आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिये स्वमेव निगरानी लेने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की है, जो इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। आयुक्त के अभिलेख के अवलोकन से यह

भी स्पष्ट है कि आयुक्त ने दिनांक 4–8–2010 को आदेश पारित करते हुये तहसीलदार सोहागपुर के प्रतिवेदन के आधार पर उसी दिनांक को प्रकरण पंजीबद्ध किया तथा वर्तमान भूमिस्वामियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये, साथ ही संहिता की धारा 32 का उपयोग करते हुये तहसीलदार को यह निर्देशित किया गया है कि खसरे में अंतरिम रूप से प्रकरण के निराकरण तक म0प्र0 शासन छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज कराकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आयुक्त द्वारा बिना आवेदक को सूचना एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिये ही संहिता की धारा 32 का उपयोग करते हुये प्रश्नाधीन भूमि म0प्र0 शासन दर्ज करने के आदेश देने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत कार्यवाही की है क्योंकि जहां स्वप्रेरणा में प्रकरण लिया जाना ही विधिसम्मत न हो वहां पहली ही पेशी पर बिना हितबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये अंतरिम आदेश पारित कर भूमि शासकीय दर्ज करने में अवैधानिकता की है। जहां तक तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में जिसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को मद जंगल प्रतिवेदित किया है, उचित नहीं है क्योंकि म0प्र0 (असाधारण) भोपाल, 862–3665–दस(2) 71–भोपाल दिनांक 9 फरवरी 1972 में जारी वन विहीन ग्रामों की सूची प्रकाशित की है जिसमें सरंक्षित वन में आने वाली समस्त भूमि सूचीबद्ध कर राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई थी। आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि मूल पट्टेदार मोहम्मद अमर पिता मोहम्मद उमर से जरिए रस्टिर्ड विकय पत्र दिनांक 23.6.1998 से पंजीयन उपरांत कब्जादखल प्राप्त किया। तदुपरांत भूमियों का तहसीलदार सोहागपुर से कमशः नामांतरण कं0 5 आदेश दिनांक 18–7–98 एवं कं0 6 आदेश दिनांक 18–7–98 भी हो गया है।

चूंकि राजस्व मण्डल में निर्णीत निगरानी प्र0 कं0 3814–दो/2012 के आदेश दिनांक 15–3–2013 में पैरा कमांक 3 में आयुक्त द्वारा जंगल मद में भूमि दर्ज होने तथा आवेदकगण को कारण बताओ सचूना पत्र के जबाव का निराकरण किया जाकर अंतिम आदेश पारित किया जाना जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध होने संबंधी निष्कर्ष निकाले है, उचित नहीं कहे जा सकते

क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है उपरोक्त भूमि म0प्र0 शासन के राजपत्र से जंगल मद से राजस्व मद में परिवर्तित किये जाने के बाद भी स्वमेव निगरानी में प्रकरण लेने के बिन्दु पर निर्णय लेने के पूर्व बिना आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिए आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 32 का उपयोग करते हुये प्रकरण के निराकरण तक पूर्ववत म0प्र0 शासन दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जो अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य थे। इसलिए इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण में निकाले गये निष्कर्ष को उचित नहीं कहा जा सकता है। अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–03–2013 तथा आयुक्त शहडोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–8–2010 आवेदकगण के स्वामित्व की भूमियों के संबंध तक, निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सोहागपुर जिला शहडोल को आदेशित किया जाता है कि आयुक्त द्वारा पारित अंतरिम आदेश के पालन में की गई प्रविष्टियां विलोपित कर आवेदकगण का नाम पूर्ववत भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर